2025/553

प्राप्त
08.08.2025

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़

मुकेशकुमार आदि बनाम दयाराम

मुकदमा किस्म अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

प्रकरण संख्या 125 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
08.07.2025	प्रार्थीगण मुकेशकुमार आदि की तरफ से वकील श्री बलवन्तराम छिम्पा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। प्रार्थी के अधिवक्ता को एक पक्षीय सुनने एवं प्रस्तुत शपथ पत्र संलग्न दस्तावेज के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आश्य की जारी की जाती है कि चक 5 सीएलडी के खाता सं. 112 के प.नं. 55/51(87) कि.नं. 16/4 की 0.076 है., प.नं. 55/59(86) कि.नं. 8/1, 9, 10, 11, 12, 13/1 की 1.265 है. कुल 1.341 है. भूमि में से अप्रार्थी अपने हक हिस्सा की भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। रहन बैय करने से निषेद्ध रहें। यह निषेधाज्ञा रास्ता, खाला, बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट) एवं अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नहीं होगी। वकील प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण को साधारण डाक के साथ–साथ नोटिस रजिस्ट्रड डाक से तल्बी करवावें व रजिस्ट्रड डाक की रसीदें न्यायालय में 3 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे। पत्रावली आईन्दा तारीख 08.08.2025 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	
8.08.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित नहीं। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी स्वयं को बार-बार आवाज लगाई फिर भी हाजिर नहीं। प्रार्थना-पत्र अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नतीजे से [illegible] की जावे बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	रामेती दयाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.08.29 16:09:11 IST
Reason: SelfAttested